प्रेस नोट
दिनांक 08.05.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से हत्यभियुक्ता को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपए 30,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 08.08.2025 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत रेलवे बभनान स्टेशन के पास वादी अजय कुमार पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम भटहा जंगल टोला बल्देव पुरवा थाना गौर जनपद बस्ती के भाई को गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। जिसमें थाना छपिया पुलिस द्वारा 02 हत्याभियुक्तों–01. अमरेन्द्र कुमार मिश्रा (बेटा), 02. विमला मिश्रा (मां) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध दिनांक 12.01.2010 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0 एक्ट) श्री सूर्य प्रकाश सिंह, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री हर्षवर्धन पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर महिला हेड का0 सुनीता यादव व थाना छपिया के पैरोकार हे0का0 भोलानाथ के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 05. 05.2025 को दोषी अभियुक्ता श्रीमती विमला मिश्रा को सश्रम आजीवन कारावास व 30,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्ता का नाम पता–
01. विमला मिश्रा पत्नी स्व0 दिनेश कुमार मिश्रा नि0 मवई थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–162/2009 धारा 302 भादवि, 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।